भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 158

6 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ

**विषय: राज्‍य कृषि विपणन बोर्डों का सशक्‍तिकरण**

158: श्रीमती टी. रत्‍नाबाई:

श्री मोहम्‍मद अली खान:

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या सरकार ने राज्‍य कृषि विपणन बोर्डों को और वित्‍तीय शक्‍तियां प्रदान करके सशक्‍त बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्‍संबंधी राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

(क) और (ख) : “बाजार और मेला” के अंतर्गत कृषि विपणन राज्‍य का विषय है । कृषि विपणन बोर्ड के वित्‍तीय अधिकार सम्‍बन्‍धित राज्‍य सरकारों द्वारा अधिनियमित सम्‍बद्ध कृषि उत्‍पाद विपणन समिति के पास है । तथापि कृषि मंत्रालय राज्‍य एपीएमसी अधिनियम में इस प्रभाव हेतु संशोधन के माध्‍यम से राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड को सुदृढ़ करने का समर्थन करता रहा है । सेवा प्रदाता के कृषि विपणन निदेशक के रूप में विनियामक से कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य को निर्धारित किए जाने की मांग की जाती है । कृषि विपणन निदेशक आदर्श रूप में केवल विनियमन से संबंधित कर्तव्‍यों का निर्वहन करेंगे जबकि प्रबंध निदेशक विकास से संबंधित कर्तव्‍यों का निर्वहन करेंगे । इस पर बल दिया गया है कि कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन तथा मंडी अवसंरचना से संबंधित विकास कार्य निर्विघ्‍न तथा आसानी से शुरू करने पर ध्‍यान दिए जाने की आवश्‍यकता है ।

---